लोकहित में प्रकाशित

द्वारा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार
ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पेटीशन (सी) सं. 539/2021 के एमए सं. 1805/2021 में दिनांक 24 मार्च, 2022को पारित आदेश (रिपोर्टेबल) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं:

- ✓ 20 मार्च, 2022 के पूर्व कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु दावा करने के लिए बाहरी समय-सीमा 60 दिन निर्धारित किए हैं (दिनांक 24.03.2022 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से प्रभावी)।
- ✓ कोविड-19 से हुई मौत के मामलों में आगे से क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिएमृत्यु की तिथि से 90 दिनों का समय दिया जाएगा।
- ✓ पिछले आदेश के अनुरूप क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त होने की तिथि से30 दिनों के भीतर वास्तविक भुगतान किए जाने का पूर्व के आदेश प्रभावी रहेंगे।
- ✓ किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति के दावेदार यदि निर्धारित समय-सीमा में अपना दावा नहीं प्रस्तुत कर सका, तो उसके लिए शिकायत निवारण समिति के पास जाने का विकल्प होगा और इस समिति के माध्यम से क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर सकेगा और शिकायत निवारण समिति द्वारा अलग-अलग मामलों में विचार किया जाएगा और समिति यदि इस बात से संतुष्ट होता है की कोई विशिष्ट दावेदार कुछ ऐसी परिस्थितियों में, जो उसके नियंत्रण से परे था, अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सका,तोऐसे मामलों में मेरिट के आधार पर समिति विचार कर सकेगी।
- ✓ झूठे दावों को कम करने के लिए, शुरुआत में दावे के लिए प्राप्त आवेदनों का 5%अनायास (रेंडमली) जांच किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने झूठे दावे प्रस्तुत किए हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के अंतर्गत विचार करते हुए दावेदार तदनुरूप दंड का भागी होगा।

पूर्ण आदेश एनडीएम की वेबसाइट https://ndma.gov.in पर देखा जा सकता है। सभी संबंधितों की सूचना, अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु आम सूचना जारी किया गया है।